Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ट)

प्रेस नोट

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बारां के नायब तहसीलदार को 25 हजार रूपये एवं जालोर के कनिष्ठ सहायक को 7 हजार 700 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार

जयपुर, 3 नवम्बर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा बुधवार को दो अलग अलग कार्यवाहियां करते हुये नायब तहसीलदार केलवाडा जिला बारां हरिप्रकाश गुप्ता को 25 हजार रूपये एवं ग्राम पंचायत वाडा भाडवी, भीनमाल जिला जालोर कनिष्ठ सहायक बाबूलाल को 7 हजार 700 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि एसीबी की बारां इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गयी कि उसकी कृषि भूमि का सीमा ज्ञान करवाने की एवज में नायब तहसीलदार हरिप्रकाश गुप्ता द्वारा 50 हजार रूपये की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी पुलिस निरीक्षक बारां श्री ज्ञानचंद मीणा के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **नायब तहसीलदार केलवाडा, जिला बारां हरिप्रकाश गुप्ता को 25 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

श्री सोनी ने बताया कि एक अन्य कार्यवाही में एसीबी जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गयी कि नरेगा रोजगार योजना के अन्तर्गत 100 दिवस कार्य पूर्ण होने पर ग्राम पंचायत वाडा भाडवी द्वारा उसके खाते में जमा मजदूरी करीब 15 हजार रूपये में से आधी रकम 7 हजार 700 रूपये रिश्वत राशि की एवज में कनिष्ठ सहायक बाबूलाल द्वारा मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी उप अधीक्षक पुलिस जालोर श्री अन्नराज के नेतृत्व में उक्त मांग का सत्यापन करवाकर आज ट्रेप कार्यवाही करते हुये **ग्राम पंचायत वाडा भाडवी पंचायत समिति भीनमाल जिला जालोर कनिष्ठ सहायक बाबूलाल को 7 हजार 700 रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की **टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064** एवं **Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834** पर सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।